न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1277–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश, दिनाक 10–4–15, 8–5–15 एवं 13–5–15 पारित द्वारा नायब तहसीलदार तहसील एवं जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 15/अ–70/12–13.

राजेश राठौर पुत्र गौरीशंकर आयु 42 साल कृषक
ग्राम शेरपुर निवासी गंज सीहोर तहसील व जिला सीहोर

.........आवेदक

विरूद्ध

1 महेश कुमार राठौर पुत्र गौरीशंकर
आयु 50 साल कृषक ग्राम शेरपुर निवासी गंज
सीहोर तहसील व जिला सीहोर
2 दीनदयाल मृत

......अनावेदकगण

श्री एस0 के0 गुरोदिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1277–पीबीआर/15 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील एवं जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 15/अ–70/12–13 में पारित आदेश दिनांक 10–4–15, 8–5–15 एवं 13–5–15 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । गैर निगराकार–1द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि उनके स्वत्व व आधिपत्य में ग्राम शेरपुर प0ह0नं0 47 तहसील व जिला सीहोर में भूमि सर्वे कमांक 24/2/1, 22/2/1 रकबा कमशः 1.95 एकड़ एवं 0.08 एकड़ स्थित है जिसका सीमांकन उनके (गैर निगराकार–1 के) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर,न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 6–4–12 को विधिवत किया गया है, जिसमें भूमि सर्वे कमांक 24/3 के भाग 0.43 एकड़ पर निगराकार का अधिपत्य अवैध रूप से पाया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 10–4–15 को निगराकार के आवेदन पत्र एवं आपत्ति अंतर्गत धारा 32 का निराकरण यह लिखते हुये किया गया कि 'खसरे एवं नक्शे में दर्ज प्रविष्टि सही है, जब तक कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा गलत सिद्ध न हो जाये', इस प्रकार आवेदन पत्र तथ्यहीन मानकर निरस्त किया गया । निगराकार द्वारा नायब तहसीलदासर को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 31–12–13 (आदेश 26 नियम 9 सीपीसी) का निराकरण आदेश पत्रिका दिनांक 8–5–15 द्वारा निरस्त करते हुए किया गया । इसी प्रकार निगराकार द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (क) प्रस्तुत किया गया था, जिसे नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 13–5–15 के आदेश से औचित्यहीन मानते हुये निरस्त किया गया । इन्हीं आवेदन पत्रों के निरस्तगी के विरूद्ध ही इस न्यायालय में यह निगरानी निगराकार द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए तथा प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया गया । ऐसा करने पर मैं निम्न बिन्दु प्रमुखता से टीप योग्य पाता हूँ :–

(क) निगराकार इस विषय के संबंध में पूर्व में भी राजस्व मण्डल में आ चुके हैं, जो निगरानी राजस्व मण्डल द्वारा ग्राह्यता के प्रकम पर खारिज की गई है ।

(ख) आक्षेपित अन्तरिम आदेश दिनांक 10–4–15 में यह लिखा है कि खसरे एवं नक्शे की प्रविष्टियों एवं विषयांकित सीमांकन को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा गलत घोषित, निरस्त या स्थगित नहीं किया गया है, जिस कारण से वे स्थिर एवं प्रभावशील हैं ।

(ग) आक्षेपित अन्तरिम आदेश दिनांक 8–5–15 से निगराकार द्वारा आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के अंतर्गत प्रदत्त आवेदन दिनांक 31–12–13 यह लिखते हुए निरस्त किया गया है कि उसके संबंध में पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल द्वारा अग्राह्य की गई है ।

(घ) आक्षेपित अन्तरिम आदेश दिनांक 13–5–15 में निगराकार की ओर से प्रदत्त आदेश 8 नियम 1(क) सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र का संदर्भ है, तथा प्रकरण आवेदक (गैर निगराकार) के साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण के लिये नियत किया गया है । साथ ही यह भी लिखा गया है कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ती आवेदन पत्रों का निराकरण प्रकरण के अन्तिम निराकरण के साथ किया जाएगा ।

(ङ) निगराकार अधिवक्ता द्वारा मेरे समक्ष तर्क के दौरान, उनके द्वारा तहसील न्यायालय में

दिनांक 31–3–15 को धारा 32 के अधीन प्रदत्त आवेदन का संदर्भ लेते हुए, तहसील न्यायालय की नस्ती में अवस्थित वाद भूमि से संबंधित तीन नक्शों की छाया प्रतियों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया गया । इनमें से एक ग्राम शेरपुर के अविभाजित खसरा नंबर 24 की है, और बाकी दो में खसरा नंबर 24 के बंटाकों की तरमीम दर्शित है । बटांकों की तरमीम वाले नक्शो को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट दिखता है कि इन दोनों बटांकों की तरमीमें फर्क हैं, जबकि इनमें से एक नायब तहसीलदार और दूसरा तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित है । वर्ष 1975 के नक्शे में खसरा नंबर 24 के 4 बटांक (24/1 से 24/4) की तरमीम दिखती है, जिसमें बटांक 24/2 की अवस्थिति बटांक 24/3 के दक्षिण में है । इसके विरूद्ध दिनांक 27–11–14 के नक्शे खसरा नंबर 24 के 4 से अंधिक बटांकों की तरमीम दिखती है, और इसमें बटांक 24/2/1 उस जगह दिखाई देता है जहॉ पर वर्ष 1975 में बटांक 24/3 का

क्षेत्र था, जबकि उसे वहां दिखना चाहिए जहां वर्ष 1975 में बटांक 24/2 का क्षेत्र रहा हो। इस प्रकार बटांक 24/2 एवं 24/3 तथा उन बटांकों के उप–बटांकों की तरमीमें अलग–अलग वर्षों के दो नक्शों में गलत स्थानों पर दिखती हैं, जो अनियमितता एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तरमीम में फेरबदल का कार्य किए जाने का संदेह उत्पन्न कराता है।

निगराकार द्वारा उसके दिनांक 31–3–15 के आवेदन में इन तीन नक्शों के साथ उठाए गए उपरोक्त बिन्दु का दिनांक 10–4–15, 8–5–15 या 13–5–15 को कोई निराकरण तहसील न्यायालय ने नहीं किया है, ना ही उस बिन्दु पर कोई भी स्पष्ट टीप की है, या फिर किसी वरिष्ठ राजस्व अधिकारी से उसके संबंध में किसी मार्गदर्शन, हस्तक्षेप या कार्यवाही की वांछा की है।

स्पष्टतः तहसील न्यायालय ने बटांक 24/2 एवं 24/3 की, तथा उनके उप–बटांकों की, दो अलग–अलग वर्षों के नक्शों में परिवर्तित अवस्थिति के संबंध में निगराकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण बिन्दु को पर्याप्त गंभीरता से नहीं देखा है और प्रकरण गैर निगराकार (तहसील में आवेदक) के साक्ष्य एवं प्रति परीक्षण के लिए नियत कर लिया है, निगराकार को इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर किसी भी तरह के पक्ष समर्थन के अवसर को आवश्यक समझे बगैर।

4/ चूंकि संहिता के अन्तर्गत नक्शों के पुनरीक्षण की शक्तियां बंदोबस्त की अवधि के बाहर कलेक्टर को प्रदत्त हैं, अतः उपरोक्त पैरा 3 के बिन्दु (ङ) पर समुचित जॉच कर निष्कर्ष निकालने के लिये मैं यह प्रकरण कलेक्टर, सीहोर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ कि वे उभयपक्ष को पक्ष समर्थन, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि का पूर्ण अवसर दें, और पुराने से लेकर नए अभिलेखों, नक्शों आदि का परीक्षण करें ताकि खसरा नंबर 24 के बटांकों विशेषकर 24/2 एवं 24/3 की, एवं उनके उप–बटांकों की, तरमीमें जो अलग–अलग वर्षों में

अलग–अलग प्रकार से नक्शों में दिखा दी गई हैं, तो यह सक्षम आदेश से हुआ है या नहीं, एवं क्या यह पूर्णतः सही है या नहीं। ऐसी जॉच एवं कार्यवाही के आधार पर कलेक्टर अपने न्यायालय के इस प्रकरण में समग्र रूप से इस बिन्दु के समस्त पहलुओं को कव्हर करते हुए, बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें । ऐसा आदेश कलेक्टर, उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 3 माह में पारित करें । कलेक्टर के इस आदेश के अनुसार एवं उसके प्रकाश में ही तहसील न्यायालय में इस बटांक 24/2/1 से संबंधित कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए ।

साथ ही, चूँकि प्रकरण में भूमि के परिवर्तित उपयोग (कृषि भूमि के प्लाट काटकर अन्य उपयोग हेतु विक्रय) का बिन्दु भी विचारण न्यायालय के समक्ष उठा है, किन्तु उसके संबंध में कोई जांच या विधि अनुसार जिसका निराकरण विचारण न्यायालय द्वारा किया गया होना अभिलेख से परिलक्षित नहीं है, अतः कलेक्टर इस बिन्दु पर भी साथ–साथ आवश्यक कार्यवाही करें/करायें ।

इसी के साथ यह प्रकरण राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है ।

आदेश पारित ।
कलेक्टर, सीहोर, तहसीलदार सीहोर एवं पक्षकार सूचित हो ।
रिकार्ड कलेक्टर सीहोर को वापस हो ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

2.3.16
(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर